रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10102024-257799
CG-DL-E-10102024-257799

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | |
|---|---|
| सं. 4006] | नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 8, 2024/आश्विन 16, 1946 |
| No. 4006] | NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 8, 2024/ASVINA 16, 1946 |


## सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2024

**का.आ. 4365(अ).—** सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 के नियम 5 और 7 के साथ पठित सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) यथा संशोधित 2017 (2017 का 21) की धारा 3 और 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, कॉर्पोरेट इकाइयों अर्थात कंपनी अधिनियम, 1956 या कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 के तहत पंजीकृत सेवा क्षेत्र से संबंधित इकाइयों से सांख्यिकी सर्वेक्षण के माध्यम से सांख्यिकी संग्रह करने का निर्देश देता है, जिसे आगे अनुसूची-I में उल्लिखित विवरणों के अनुसार 'सेवा क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसएसएसई) पर पायलट अध्ययन का चरण-II' के रूप में संदर्भित किया जाएगा।

2. मंत्रालय, उपर्युक्त निर्देश के संदर्भ में उल्लिखित भौगोलिक इकाइयों के संबंध में अनुसूची II में उल्लिखित व्यक्तियों और उनके कार्यालय में नामितियों को सांख्यिकी अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है। प्रत्येक सांख्यिकी अधिकारी निर्धारित प्रारूप में एक वचनबद्धता, अर्थात् सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 के साथ संलग्न प्रपत्र-I, अपर महानिदेशक, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, दिल्ली को तत्काल प्रस्तुत करेगा।

3. प्रत्येक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, निर्धारित प्रारूप में वचनबद्धता, अर्थात् सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 के साथ संलग्न प्रपत्र-I, सांख्यिकी अधिकारी को प्रस्तुत करने के पश्चात, सूचनादाताओं द्वारा दी गई सूचना के सत्यापन, सुसंगत अभिलेखों का निरीक्षण करने तथा सूचनादाताओं से आवश्यकतानुसार स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए सांख्यिकी अधिकारी के भौगोलिक क्षेत्राधिकार में कार्यरत होंगे। इन कर्तव्यों के अनुसार, प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति अपने

साथ एक फोटो पहचान पत्र तथा संबंधित सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी प्राधिकार पत्र रखेगा। सांख्यिकी अधिकारी प्राधिकृत व्यक्तियों के वचनबद्धताओं को अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा तथा उपर्युक्त वचनबद्धताओं को प्राप्त करने का प्रमाण-पत्र अपर महानिदेशक, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, दिल्ली के कार्यालय को अग्रेषित करेगा।

4. सूचनादाताओं द्वारा प्रस्तुत सेवा क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसएसएसई) पर पायलट अध्ययन का चरण-II हेतु पूछताछ अनुसूची में एकत्र किए गए आँकड़ों को उचित सत्यापन और जाँच के बाद राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा संसाधित किया जाएगा और सांख्यिकीय तकनीकों के माध्यम से आंकड़ों से उत्पन्न इकाई स्तर के आंकड़े और रिपोर्ट, यदि कोई हो, को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की अभिरक्षा में रखा जा सकता है।

5. सेवा क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसएसएसई) पर पायलट अध्ययन का चरण-II के संबंध में सांख्यिकी संग्रहण, आंकड़ों के प्रसंस्करण और प्रसार के संबंध में किसी भी गतिविधि में लगे सभी व्यक्ति सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 और सांख्यिकी संग्रहण नियमावली, 2011 के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे।

6. सांख्यिकी अधिकारियों को निम्नलिखित शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं:

(क) एक सांख्यिकी अधिकारी को उपर्युक्त निर्देश के संबंध में सांख्यिकी एकत्र करने, व्यावसायिक रिकॉर्ड और अन्य रिकॉर्ड के आधार पर सूचनादाता द्वारा दी गई किसी भी जानकारी को सत्यापित करने और किसी उद्यम के प्रमुख या सदस्य या मालिक या अधिभोगी या प्रभारी व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, से स्पष्टीकरण मांगने के लिए अधिकारियों को प्रतिनियुक्त/प्राधिकृत करने का अधिकार है। एक सांख्यिकी अधिकारी को किसी भी राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत अधिकारियों को प्रतिनियुक्त/प्राधिकृत करने का भी अधिकार है, जो उन उद्यमों में से किसी से भी आंकड़े एकत्र करने के लिए इच्छुक है, जिनके लिए सांख्यिकी अधिकारी ने अपने प्रशासनिक नियंत्रण के तहत किसी भी अधिकारी को प्रतिनियुक्त/प्राधिकृत नहीं किया है।

(ख) एक सांख्यिकी अधिकारी को आंकड़ा एकत्र करने का तरीका तय करने और सांख्यिकी संग्रह के उद्देश्य से निर्दिष्ट निर्धारित प्रारूप में सूचना प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक सूचनादाता को एक माह या उचित समझी जाने वाली अवधि का नोटिस देने का अधिकार है।

(ग) एक सांख्यिकी अधिकारी को किसी भी सूचनादाता को एक निश्चित अवधि के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में पूछताछ अनुसूची प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करने का अधिकार है, जिसे उसके द्वारा सूचनादाता को जारी किए जाने वाले नोटिस में निर्दिष्ट किया जाएगा।

## अनुसूची-I

**सांख्यिकी संग्रहण का विषय और उद्देश्य:**

1. सेवा क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसएसएसई) पर पायलट अध्ययन का चरण-II के माध्यम से कॉर्पोरेट इकाइयों यानी कंपनी अधिनियम, 1956 या कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 के तहत पंजीकृत सेवा क्षेत्र से संबंधित इकाइयों के विकास, रचना और संरचना से संबंधित आंकड़े एकत्र किये जाते हैं |

**सांख्यिकी संग्रहण के लिए भौगोलिक क्षेत्र:**

2. सेवा क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसएसएसई) पर पायलट अध्ययन का चरण-II पूरे संघ भारत में आयोजित किया जा रहा है।

**आंकड़ा संग्रहण की विधि:**

3. प्रत्येक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सूचनादाताओं को एक नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें यह दर्शाया जाएगा कि किस तारीख तक, किस अधिकारी या कार्यालय को, किस उद्यम या उद्यमों के लिए, तथा किस प्रारूप और तरीके से सूचना प्रस्तुत की जानी है, जैसा कि नोटिस में निर्दिष्ट है।

**सूचना दाताओं का स्वरुप जिनसे आंकड़ा एकत्र किया जा सकता है:**

4. सूचनादाता वस्तु और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) के तहत पंजीकृत निगमित सेवा क्षेत्र उद्यम के प्रमुख या मालिक या अधिभोगी या प्रभारी व्यक्ति हैं, जिनसे अपेक्षित सूचना के लिए संपर्क किया जाएगा और सांख्यिकी अधिकारी द्वारा उन्हें उपर्युक्त निर्देशों के तहत सूचना प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा।

5. सांख्यिकी अधिकारी किसी राज्य/संघ शासित प्रदेश में संचालित किसी उद्यम (विशिष्ट वस्तु एवं सेवा कर पहचान संख्या (जीएसटीआईएन)) के संबंध में समेकित जानकारी प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है, जिसमें चयनित जीएसटीआईएन से संबंधित मुख्य व्यवसाय स्थान और व्यवसाय के अतिरिक्त स्थान शामिल हैं। ऐसा अनुरोध संबंधित प्रमुख या मालिक या अधिभोगी या उद्यम के प्रभारी व्यक्ति को जारी नोटिस के माध्यम से किया जा सकता है।

**सांख्यिकी का संग्रहण का कार्य संपन्न करने की अवधि:**

6. प्रत्येक सूचनादाता द्वारा सूचना प्रस्तुत करने की तिथि नोटिस में उल्लिखित की जाएगी और आमतौर पर यह 1 नवंबर, 2024 से 31 मार्च, 2025 के मध्य होगी।

**संदर्भ अवधि:**

7. 1 अप्रैल, 2022 से शुरू होकर 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष या 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च, 2023 के बीच किसी भी तारीख को समाप्त होने वाले उद्यम के लेखा वर्ष के लिए जानकारी प्रस्तुत की जानी आवश्यक है।

**एकत्र की जाने वाली जानकारी की प्रकृति:**

8. आवश्यक जानकारी उद्यम की परिचालन विशेषताओं, परिसंपत्तियों और देनदारियों, कार्यशील पूंजी और ऋण, रोजगार और श्रम का विवरण, व्यापार और सेवाओं के उत्पादन से व्यय एवं प्राप्तियां, कर, सब्सिडी, वितरण व्यय, कुल आगत, निर्गत और प्रासंगिक संदर्भ अवधि के लिए सकल मूल्य वर्धन के विवरण से संबंधित है।

**भाषा जिसमें सूचनादाता द्वारा सूचना प्रस्तुत की जानी है:**

9. सूचनादाता निर्धारित प्रारूप में हिन्दी या अंग्रेजी में सूचना प्रस्तुत करेगा।

**सूचनादाता का दायित्व:**

10. किसी उद्यम का मुखिया या मालिक या अधिभोगी या प्रबंधक या प्रभारी व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, संबंधित सांख्यिकी अधिकारी से प्राप्त नोटिस में उल्लिखित तरीके से और तिथि तक सूचना देगा। उसे निरीक्षण के लिए प्रासंगिक अभिलेख भी प्रस्तुत करने होंगे, और मांगी गई सूचना के संबंध में सांख्यिकी अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होंगे।

**व्यवसाय अभिलेखों और अन्य अभिलेखों की प्रकृति जिनका निरीक्षण किया जा सकता है:**

11. उद्यम के व्यवसाय अभिलेखों, जैसे बैलेंस शीट, लाभ-हानि लेखा, मस्टर रोल, उपस्थिति रजिस्टर, श्रम रजिस्टर, वेतन रोल, निदेशक की रिपोर्ट या दी गई जानकारी के समर्थन में किसी अन्य दस्तावेज का निरीक्षण सांख्यिकी अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है।

**निरीक्षण का तरीका:**

12. संबंधित सांख्यिकी अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति उद्यम के व्यवसाय अभिलेखों और अन्य अभिलेखों के आधार पर उपर्युक्त निर्देश के तहत दी गई जानकारी का सत्यापन कर सकता है और ऐसे अभिलेखों को रखे जाने वाले परिसर में, संबंधित प्रमुख या मालिक या अधिभोगी या उद्यम के प्रभारी व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, या उद्यम द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से स्पष्टीकरण मांग सकता है।

**सूचना की गोपनीयता और एकत्र किए गए आंकड़ों का प्रकटीकरण:**

13. सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 की धारा 9 के अनुसार, सेवा क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसएसएसई) पर पायलट अध्ययन का चरण-II में एकत्र की गई जानकारी का उपयोग केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए किया जाएगा और प्रकाशन की स्थिति में उद्यमों की पहचान संबंधी जानकारी को हटा दिया जाएगा।

## अनुसूची-II

| क्रम सं. | सांख्यिकी अधिकारी | कार्यक्षेत्र | पता |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री हिम्मत सिंह राघव उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, मोहाली | पंजाब, जम्मू तथा कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र) और लद्दाख (संघ राज्य क्षेत्र) | रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.), बिल्डिंग न॰-418, बल्क मटिरियल मार्केट, सैक्टर-65, फ़ेस-11, एस.ए.एस. नगर मोहाली-160065 |
| 2 | श्री कैलाश जी॰ शर्मा उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ | हरियाणा एवं चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र) एव हिमाचल प्रदेश | रा.प्र.स.का (क्षे.स.प्र.), छठा तल, केंद्रीय सदन, से. 9-ए, चंडीगढ़-160017 |
| 3 | श्री नीतीश कुमार उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली | दिल्ली | रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.), सांख्यिकी भवन, डी. ब्लाक, चौथातल, जी.पी.ओ.ए. बिल्डिंग, सी.बी.डी. शाहदरा, नजदीक कडकडडूमा कोर्ट, दिल्ली-110032 |
| 4 | डॉ. हंसराज यादव उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर | राजस्थान | रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.), 70/149-154, पटेल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर-302020 |
| 5 | श्री आर॰ मनोहर उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, बंगलूरू | कर्नाटक | रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.), पांचवां तल, ई. तथा एफ. विंग,केन्द्रीय सदन, 17 मेन- द्वितीय ब्लाक, कोरामंगला, बंगलूरू-560034 |
| 6 | डा. पी॰ टी॰ सुभा उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नई | तमिलनाडु तथा पुडुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र) | रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.), 'बी'विंग, दूसरा तल, III ब्लॉक, शास्त्री भवन, हैडास रोड,नंगमबक्कम, चेन्नई-600006 |
| 7 | श्री साजी जॉर्ज उपमहानिदेशक, आंचलिक कार्यालय, बंगलुरु | आंध्र प्रदेश, गोवा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह (संघ राज्य क्षेत्र), केरल तथा लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र), तेलंगाना | रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.), द्वितीय तल, बी- विंग, केन्द्रीय सदन, सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, कोरामंगला, बंगलूरू-560034 |
| 8 | श्री मनोज कुमार उपमहानिदेशक, आंचलिक कार्यालय, लखनऊ | उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड | रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.), आंचलिक कार्यालय , लखनऊ एनएसएसओ भवन, सेक्टर - 11, रिंग रोड , विकास नगर , लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226022 |
| 9 | श्री राहुल शर्मा उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल | मध्य प्रदेश | रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.), विजय स्तम्भ, हाल न॰-201 व 205, दूसरा तल, म॰ प॰ नगर, ज़ोन-1, भोपाल-462011 |

| क्रम सं. | सांख्यिकी अधिकारी | कार्यक्षेत्र | पता |
|---|---|---|---|
| 10 | श्री रोशन लाल साहू<br>उपमहानिदेशक,<br>क्षेत्रीय कार्यालय,<br>पटना | बिहार | रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र .),<br>7वां तल, ब्लॉक डी व ई,<br>कर्पूरी ठाकुर सदन,<br>जी. पी. ओ. ए. भवन, राजीव नगर<br>थाना के नजदीक, आशियाना दीघा<br>रोड, पटना- 800025 |
| 11 | श्री संजीब बासु<br>उपमहानिदेशक,<br>क्षेत्रीय कार्यालय,<br>कोलकाता | पश्चिम बंगाल | रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.),<br>सी जी ओ कॉम्प्लेक्स, द्वितीय तल,<br>इ विंग, डी एँफ़ ब्लाक,सेक्टर-1<br>साल्ट लेक, कोलकाता-700064 |
| 12 | श्री अनुपम लाहिरी<br>उपमहानिदेशक,<br>क्षेत्रीय कार्यालय,<br>भुवनेश्वर | ओडिशा | रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.), कोमेर्सिअल<br>काम्प्लेक्स, प्रथम तल, आचार्य विहार,<br>भुबनेश्वर- 751013 |
| 13 | श्री अतानु कुमार<br>चोव्दुरी<br>उपमहानिदेशक,<br>आंचलिक कार्यालय,<br>कोलकाता | झारखंड | रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.),<br>छठा तल, महलनोबिस भवन, 164,<br>जी॰ एल॰ टी॰ रोड,<br>कोलकाता-700108 |
| 14 | श्रीमति स्वपनाली<br>भट्टाचार्य<br>उपमहानिदेशक,<br>क्षेत्रीय कार्यालय,<br>गुवाहाटी | असम | रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.),<br>तीसरा तल, केंद्रीय खंड, हौसेफेड<br>काम्प्लेक्स, बसिस्ठा रोड, दिसपुर,<br>गुवाहाटी-781006 |
| 15 | डॉ. के॰ एम॰ सिंह<br>उपमहानिदेशक,<br>क्षेत्रीय कार्यालय,<br>इम्फाल | मणिपुर | रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.),<br>थेगमेईबड लाउरुंगपुरेल लेकेई,<br>इमाइमोईनूसाना सांगलेन पी.ओ., इम्फाल-795001 |
| 16 | श्री एन. मोहोनदास सिंह,<br>निदेशक,<br>आंचलिक कार्यालय, गुवाहाटी | मेघालय,<br>अरुणाचल प्रदेश<br>तथा सिक्किम | रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.), छठा तल,वेस्ट एंड<br>ब्लॉक, केन्द्रीय खंड, हौसेफेड कॉम्प्लेक्स,<br>बसिस्ठा रोड, दिसपुर, गुवाहाटी-781006 |
| 17 | श्री ई. रेंबी जामी, निदेशक,<br>क्षेत्रीय कार्यालय, कोहिमा | नागालैंड | परिवहन आयुक्त कार्यालय बिल्डिंग, नागालैंड सिविल<br>सचिवालय के सामने, कोहिमा, नागालैंड |
| 18 | श्री अनिल दिगम्बर पाटिल<br>उपमहानिदेशक,<br>क्षेत्रीय कार्यालय,<br>अगरतला | त्रिपुरा तथा<br>मिजोरम | श्री राम विल्ला, नजदीक एसबीआई,<br>पी. ओ. कुंजबन, अगरतला,<br>त्रिपुरा-799006 |
| 19 | श्रीमति सुप्रिया रॉय<br>उपमहानिदेशक, | महाराष्ट्र | रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.), चौथा तल,<br>ए-2/3 विंग, निकट कोंकणभवन, |

| क्रम सं. | सांख्यिकी अधिकारी | कार्यक्षेत्र | पता |
|---|---|---|---|
| | क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई | | सीजीओ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सीबीडी बेलापुर, नवी मुम्बई-400614 |
| 20 | श्री श्रीनिवास उप्पला उपमहानिदेशक, आंचलिक कार्यालय, नागपुर | गुजरात, दादरा तथा नागर हवेली और दमन एवं दीव (संघ राज्य क्षेत्र) | रा.प्र.स.का.(क्षे.सं.प्र.), आंचलिक कार्यालय, पश्चिम अंचल, ए-ब्लॉक, तीसरी मंजिल, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, सेमिनरी हिल्स, नागपुर – 440006 |
| 21 | श्री अल्ताफ हुसैन हाजी उपमहानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर | छत्तीसगढ | रा.प्र.स.का (क्षे.स.प्र.), भगत माता कर्मा, व्यावसायिक परिसर, द्वितीय तल, कमरा स. 8-25, न्यू राजेंद्र नगर, रायपुर (छ. ग.) -492006 |

[फा. सं. एम-12011/8/2024/एएसएसएसई]

डॉ. चेतना शुक्ला, उप महानिदेशक

## MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

## NOTIFICATION

New Delhi, the 4th October, 2024

**S.O. 4365(E).—**In exercise of the powers conferred by sections 3 and 4 of the Collection of Statistics Act, 2008 (7 of 2009), as amended in 2017 (21 of 2017), read with rules 5 and 7 of the Collection of Statistics Rules, 2011, the Ministry of Statistics & Programme Implementation hereby directs Collection of Statistics from corporate entities i.e entities registered under companies Act, 1956 or companies Act, 2013 or Limited Liability Partnership Act, 2008 and belonging to service sector through a statistical survey, hereinafter referred to as 'Phase-II of the pilot study on Annual Survey of service sector enterprises (ASSSE)', as per the details mentioned in the Schedule-I.

2. The Ministry further appoints the persons as also their assignees in office, mentioned in the Schedule II as Statistics Officers in respect of the geographical units mentioned thereof with reference to the aforesaid direction. Each Statistics Officer shall immediately submit an undertaking in the prescribed format, namely, Form-I appended to the Collection of Statistics Rules, 2011, to the Additional Director General, Field Operations Division, National Sample Survey Office, Delhi.

3. The persons authorized by each Statistics Officer, after submission of the undertaking in the prescribed format, namely, Form-I appended to the Collection of Statistics Rules, 2011 to the Statistics Officer, would be engaged in the geographical jurisdiction of the Statistics Officer for verification of information furnished by informants, for inspecting relevant records, and for seeking clarifications, as may be necessary, from informants. In accordance with these duties, each person authorized would carry a photo identity card and a letter of authorization issued by the concerned Statistics Officer. The Statistics Officer shall keep the undertakings of the authorized persons in his safe custody and forward a certificate of having obtained the above undertakings to the Office of the Additional Director General, Field Operations Division, National Sample Survey Office, Delhi.

4. The statistics collected in schedule of enquiry of Phase-II of the pilot study on Annual Survey of Service Sector Enterprises, (ASSSE), furnished by the informants, after due verification and scrutiny, will be processed by National Sample Survey Office (NSSO) and the unit level data and reports, if any, generated from the data through statistical techniques, may be kept in the custody of National Sample Survey Office (NSSO).

5. All persons, engaged in any activity in respect of collection of statistics, processing of data and dissemination with respect to Phase-II of pilot study on ASSSE are governed by the provisions under the Collection of Statistics Act, 2008 and the Collection of Statistics Rules, 2011.

6. Following powers have been delegated to the Statistics Officers:

(a) A Statistics Officer is empowered to depute/authorize officials to collect statistics in respect of the aforementioned direction, to verify any information furnished by informants on the basis of business records and other records and to seek clarifications from head or member or the owner or occupier or person in-charge of an enterprise, as the case may be, at the premises where such records are kept. A Statistics Officer is also empowered to depute/authorize officials under the administrative control of any State Government or Union territory Administration, which is willing to collect statistics from any of those enterprises for which the Statistics Officer has not deputed/authorized any official under his administrative control.

(b) A Statistics Officer is empowered to decide the mode of collecting data and give one month notice or for the period deemed fit to each of the informant for furnishing information in the prescribed format, specified for the purpose of collection of statistics.

(c) A Statistics Officer is empowered to provide to any informant, the facility of furnishing the schedule of enquiry in electronic form for certain period, to be specified by him in the notice to be issued to the informant.

## SCHEDULE-I

### Subject and purpose for collection of statistics:

1. Statistics relating to growth, composition and structure of corporate entities i.e entities registered under companies Act, 1956 or companies Act, 2013 or Limited Liability Partnership Act, 2008 and belonging to service sector is collected through Phase-II of the pilot study on Annual Survey of Service Sector Enterprises (ASSSE).

**Geographical area for collection of statistics:**

2. The Phase-II of the pilot study on Annual Survey of Service Sector Enterprises is conducted in the whole of Union India.

**Method of data collection:**

3. A notice will be issued by each Statistics Officer to informants under his jurisdiction, indicating therein the date by which, the officer or office to whom, the enterprise or enterprises for which, and the formats and the manner in which information is required to be furnished, specified in the notice.

**Nature of informants from whom data may be collected:**

4. The informants are the head or the owner or occupier or person in-charge of an incorporated service sector enterprise registered under Goods and Services tax Network (GSTN), who would be approached for the required information and would be issued notice by Statistics Officer for furnishing information under the aforementioned direction.

5. A Statistics Officer may seek furnishing of consolidated information in respect of an enterprise (a specific Goods and Services Tax Identification Number (GSTIN)) operating within a State/Union Territory, which includes the principal place of business and additional places of businesses pertaining to the selected GSTIN. Such request may be made through a notice issued to the concerned head or owner or occupier or person in-charge of the enterprise.

**Period during which collection of statistics may be completed:**

6. The date for submission of information by each informant would be mentioned in the notice and would generally fall during 1st November 2024 to 31st March 2025.

**Reference period:**

7. Information is required to be furnished for financial year commencing from 1st April, 2022 and ending on 31st March, 2023 or for the Accounting Year of a unit ending on any date between 1st April, 2022 and 31st March, 2023.

**Nature of information to be collected:**

8. The information required relates to particulars of operational characteristics of the enterprise, assets and liabilities, working capital and loans, employment and labour details, receipts and expenses from trading and production of services, tax, subsidies, distributive expenses, total input, output and gross value added for relevant reference period, etc.

**Language in which information is to be furnished by informant:**

9. An informant shall furnish the information in the prescribed formats, either in Hindi or in English.

**Obligation of informant:**

10. A head or owner or occupier or manager or person in-charge of an enterprise, as the case may be, shall furnish information in the manner and by the date mentioned in the notice received by him from the concerned Statistics Officer. He/She shall also furnish relevant records for inspection, and answer questions in relation to the information sought, as may be required by the Statistics Officer or a person authorised by him.

**Nature of business records and other records which may be inspected:**

11. Business records of a unit, such as balance sheet, profit and loss account, muster rolls, attendance registers, labour register, pay rolls, Director's report or any other document in support of the information furnished may be inspected by the Statistics Officer or a person authorised by him.

**The manner of inspection:**

12. The concerned Statistics Officer or a person authorised by him may verify the information furnished under the aforementioned direction on the basis of business records and other records of the unit and seek clarifications, at the premises where such records are kept, from the concerned head or the owner or occupier or person in-charge of an enterprise, as the case may be, or a person authorised by him of the enterprise.

**Confidentiality of information and disclosure of data collected**

13. As per Section 9 of Cos Act, 2008 the information collected in Phase-II of the pilot study on Annual Survey of Service Sector Enterprises (ASSSE), will be used solely for statistical purposes and information on identification particulars of entities will be suppressed in case of publication.

**SCHEDULE-II**

| S.No. | Statistics Officer | Jurisdiction | Address |
|---|---|---|---|
| 1. | Sh. Himmat Singh Raghav<br>DDG, RO, Mohali | Punjab, Jammu & Kashmir (UT) & Ladakh (UT) | NSSO (FOD), Building No. 418 Bulk Material Market, Sector 65, Phase-11, SAS Nagar, Mohali-160065. |
| 2. | Sh. Kailash G. Sharma<br>DDG, RO, Chandigarh | Haryana, Chandigarh (UT) and Himachal Pradesh | NSSO(FOD), 6th floor, Kendriya Sadan, Sec-9A, Chandigarh -160017. |
| 3. | Sh. Nitish Kumar<br>DDG, RO, Delhi | Delhi | NSSO (FOD), Sankhyiki Bhawan, D-Block, 4th Floor, GPOA Building, CBD Shahdara, Near Karkardooma Court Delhi-110032. |
| 4. | Dr. Hansraj Yadav<br>DDG, RO, Jaipur | Rajasthan | NSSO(FOD), 70/149-154, Patel Marg, Mansarovar, Jaipur-302020. |
| 5. | Sh. R. Manohar<br>DDG, RO, Bengaluru | Karnataka | NSSO (FOD), V Floor, E&F Wing, Kendriya Sadan, 17 Main-2nd Block, Koramangala, Bengaluru -560034. |

| S.No. | Statistics Officer | Jurisdiction | Address |
|---|---|---|---|
| 6. | Dr. P.T. Subha<br>DDG, RO, Chennai | Tamil Nadu and Puducherry (UT) | NSSO (FOD), 'B' Wing, II Floor,<br>III Block, Shastri Bhawan,<br>Haddows Road, Nungambakkam,<br>Chennai-600006. |
| 7. | Sh. Saji George<br>DDG, ZO, Bengaluru | Andhra Pradesh, Goa, Andaman & Nicobar Islands (UT), Kerala and Lakshadweep (UT), Telangana | NSSO (FOD), 2nd floor,<br>B-Wing, Kendriya Sadan,<br>C.G.O. complex,<br>Komarmangala,,<br>Bengaluru-560034. |
| 8. | Sh. Manoj Kumar<br>DDG, ZO, Lucknow | Uttar Pradesh & Uttarakhand | Zonal Office, Lucknow<br>NSSO Bhawan, Sector -11, Ring Road,<br>Vikas Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh - 226022 |
| 9. | Sh. Rahul Sharma<br>DDG, RO, Bhopal | Madhya Pradesh | NSSO(FOD), Vijay Stambh,<br>Hall No. 201 & 205, 2nd Floor,<br>M.P. Nagar, Zone-I,<br>Bhopal-462011. |
| 10. | Sh. Roshan Lal Sahu<br>DDG, RO, Patna | Bihar | NSSO(FOD),<br>7th Floor, Block D & E,<br>Karpuri Thakur Sadan,<br>GPOA Building,<br>Near Rajiv Nagar Thana,<br>Ashiyana Digha Road,<br>Patna – 800025. |
| 11. | Sh. Sanjib Basu<br>DDG, RO, Kolkata | West Bengal | NSSO (FOD), CGO Complex, 2nd Floor, E-Wing, DF Block Sector-I,<br>Salt Lake, Kolkata-700064. |
| 12. | Sh. Anupam Lahiri<br>DDG, RO, Bhubaneswar | Odisha | NSSO (FOD), Commercial Complex, 1st Floor, Acharya Vihar,<br>Bhubaneswar-751013. |
| 13. | Sh. Atanu Kumar Chowdhury<br>DDG, ZO, Kolkata | Jharkhand | NSSO (FOD), 6th Floor,<br>Mahalnobis Bhawan, 164,<br>G.L.T. Road, Kolkata-700108. |
| 14. | Smt. Swapnalee Bhattacharya<br>DDG, RO Guwahati | Assam | NSSO (FOD),<br>3rd Floor, Central Block,<br>Housefed Complex,<br>Basistha Road,<br>Dispur Guwahati-781006. |
| 15. | Dr. K. M. Singh<br>DDG, RO, Imphal | Manipur, | NSSO (FOD), Thangmeiband<br>Lourung Purel Lekei,<br>Imaemoinusanasanglen, P.O.,<br>Imphal-795001 |
| 16. | Sh. N. Mohondas Singh<br>Director, ZO, Guwahati | Meghalaya, Arunachal Pradesh, and Sikkim | NSSO(FOD, 6th Floor, West End Block, Housefed Complex, Basistha Road, Dispur, Guwahati, Assam -781006. |
| 17. | Sh. E. Renbi Jami, Director | Nagaland | Transport Commissioner's Office Building, Opp. Nagaland Civil Secretariat, Kohima , Nagaland |
| 18. | Sh. Anil Digambar Patil<br>DDG, RO, Agartala | Tripura and Mizoram | Sree Ram villa, near SBI, PO Kunjaban<br>Agartala, Tripura -799006 |
| 19. | Smt. Supriya Roy | Maharashtra | NSSO (FOD), 4th Floor, A-2/3 |

| S.No. | Statistics Officer | Jurisdiction | Address |
|---|---|---|---|
| | DDG, RO, Mumbai | | Wing, Near Konkan Bhawan, CGO Complex Building, CBD Belapur, Navi Mumbai-400614. |
| 20. | Sh. Srinivas Uppala DDG, ZO, Nagpur | Gujarat, Dadra and Nagar Haveli & Daman and Diu (UT) | NSSO (FOD), Zonal Office, Western Zone, A-Block, 3rd Floor, C.G.O. Complex, Seminary Hills, Nagpur - 440006 |
| 21. | Sh. Altaf Hussain Haji DDG, RO, Raipur. | Chhattisgarh | NSSO (FOD), 2nd Floor, Bhakta Mata Karma Commercial Complex, Room No.8-25, New Rajendra Nagar, Raipur-492006 |

[F. No. M-12011/8/2024/ASSSE]

Dr. CHETNA SHUKLA, Dy. Director General)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.10.10 23:05:54 +05'30'